सोमती देवी बनाम सरपंच ग्राम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज अपील नामान्तरण ... 3/2..
21.02.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थीया उपस्थित। वकील अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड की जाती है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीरीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2023	2023 / 660	19.06.2023	21.02.2025

उनवान प्रकरण

श्रीमती कोयली देवी पत्नी मालीराम आयु 53 साल, जाति बावरिया निवासी ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––अपीलार्थीया

बनाम्

1–सरपंच ग्राम पंचायत करड़का पं. सं. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

2–भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

श्री सरफराज खान, एड0 प्रार्थी / अपीलार्थीया अभिभाषक।

नामान्तकरण अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.02.2014 सरपंच, ग्राम पंचायत करड़का पंचायत समिति अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 बाबत नामान्तकरण संख्या– 552 ग्राम करड़का पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस के इस आशय से प्रस्तुत की है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 1.6000 हैक्टर तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू. अभि. नि. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसमें हिस्सा 1600 / 15999 की खातेदारी खातेदार नानूराम पुत्र मुरली जाति कुम्हार के नाम व कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 रकबा 1.5900 हैक्टर तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू. अभि. नि. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसमें हिस्सा 1 / 6 की खातेदारी खातेदार नानूराम पुत्र मुरली जाति कुमावत के नाम भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज है। अपीलार्थीया ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 1.60 हैक्टर हिस्सा 1600 / 10666 दर हिस्सा 4 / 6 भूमि व खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टर हिस्सा 1 / 6 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 03.02.2014 के आधार पर विक्रेता खातेदार नानूराम पुत्र मुरली से विधिवत रूप से खरीद करके एव मौके पर कब्जा प्राप्त करके एंव सम्पूर्ण प्रतिफल अदा करके मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 05.02.2014 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीया के हक में भरा जाकर रेस्पोडेन्ट सरंपच ग्राम पंचायत करडका के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार किये जाने के वाद भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 05.02.2014 के द्वारा अपीलार्थीया के नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया था परन्तु इसके वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरंपच ग्राम पंचायत करडका द्वारा चुनौतीग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 20.02.2014 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 552 को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का निर्णय दिनांक 20-02-2014 बाबत नामान्तकरण संख्या-552 विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीया ने कृषि भूमियॉ तन ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 1.60 हैक्टर हिस्सा 1600/10666 दर हिस्सा 4/6 भूमि व खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टर हिस्सा 1/6 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांकित 03.02.2014 के आधार पर विकेता खातेदार नानूराम पुत्र मुरली से विधिवत रूप से खरीद करके एंव मौके पर कब्जा प्राप्त करके एंव सम्पूर्ण प्रतिफल अदा करके मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त रजिस्टर्ड विकय लेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 05.02.2014 को अपीलार्थीया के हक में भरा जाकर रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत करडका के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ग्राम पंचायत करड़का द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विकय लेख के आधार पर अपीलार्थीया के नाम दर्ज कर दी गई परन्तु इसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरंपच ग्राम पंचायत करड़का द्वारा चुनौतिग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 20-02-2014 के द्वारा नामान्तकरण संख्या-552 को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का निर्णय दिनांक 20.02.2014 विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या-552 को निर्णय दिनांक 05.02.2014 के द्वारा स्वीकार फरमाये जाने एंव विधि सम्मत विकय लेख के आधार पर अपीलार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बिना अधिकार चुनौतिग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 20.2.2014 पारित फरमाया जाकर नामा. सं. 552 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय में अंकित किया है कि " ग्राम करड़का ना.सं. 552 नानूराम पुत्र मुरली जाति कुम्हार नि. करड़का के द्वारा विकय किये जाने पर कोयली देवी पत्नी मालीराम जाति [illegible] दिनांक 05.02.2014 को भरकर पेश हुआ व स्वीकार हुआ लेकिन [illegible] नामा. पुनर्वालोकन हेतु मंगवाया गया। बैठक में नामा[illegible] हुआ, सदस्यों द्वारा बताया गया कि उक्त विकय पर विकेता की पत्नी तथा वि[illegible] के पुत्र द्वारा आपत्ति जताई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गई। बाद विचार विमर्श निर्णय किया गया कि उक्त नामान्तकरण अस्वीकार किया जावे। सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया।" रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने उक्त मनमर्जी के बनावटी बेसलेस आधारहीन तथ्य अंकित करके चुनौतिग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 20.02.2014 पारित फरमाये जाने की गंभीर भूल की है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का चुनौतिग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 20.02.2014 अपास्त होने योग्य है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के समक्ष नानूराम पुत्र मुरली जाति कुम्हार निवासी करड़का तहसील श्रीमाधोपुर के पुत्रगण ताराचन्द व दुलीचन्द द्वारा दीवानी दावा संख्या 21/2014 एंव प्रार्थना पत्र टी.आई. 15/14 उनवानी ताराचन्द व अन्य बनाम कोयली देवी व अन्य प्रस्तुत किये गये थे। जिसमें प्रार्थना पत्र टी.आई. 15/14 में विधिवत सुनवाई फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 18.10.2014 पारित फरमाया जाकर प्रार्थी ताराचन्द द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 कोयली देवी आदि के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जा चुका था एंव दीवानी दावा सं. 21/2014 में वादीगण ताराचन्द वगै0 की ओर से प्रार्थना पत्र इस वाद को विड्रा करने अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्तुत करने पर निर्णय आदेश दिनांक 18.02.2017 पारित फरमाया गया "कि आदेश 23 उप नियम 4 के तहत वादीगण पर 100/– रूपये खर्चा अधिरोपित किया जाता है। प्रार्थना पत्र 100/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार कर वादीगण को अपने वाद के प्रत्याहरण की अनुमत दी जाती है। इसलिए रेसपोडेन्ट सं. 1 का चुनौतिग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 2.02.2014 स्थिर रहने योग्य नहीं होकर अपास्त होने योग्य है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत करड़का द्वारा नामान्तकरण संख्या–552 ग्राम करड़का की बाबत पारित चुनौतिग्रस्त पुनः निर्णय दिनांक 20–02–2014 को अपास्त [illegible] के नाम रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 03.02.2014 के आधार पर [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित [illegible] खसरा नम्बर 558 रक्बा 1.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर एवं खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टर के भू. अभिलेख में भरे गये नामान्तकरण संख्या –552 को स्वीकृत फरमाया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 03.02.2014 के आधार पर भूमि की खातेदारी अपीलार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार को प्रदान किये जाने का निवेदन अपील नामान्तकरण मे किया है।

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्टस संख्या– 1 व 2 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 287/भू.अ./2025 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

जिस पर हमनें वकील अपीलान्ट की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, 2074–2077, सरपंच ग्राम पंचायत करडका की बैठक दिनांक 05.02.2014 व 20.02.2014 के प्रस्ताव की नकल, विक्रय लेख दिनांकित 03.02.2014 की फोटो प्रति, न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. [illegible] निर्णय की फोटो प्रतियॉ एंव फर्द मौका जॉच रिपोर्ट द्वारा [illegible] का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदारी खातेदार नानूराम पुत्र मुरली कौम कुमावत के नाम से खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार नानूराम पुत्र मुरली कौम कुमावत के द्वारा विक्रय लेख दिनांक 03.02.2014 को उप पंजीयक अजीतगढ़ द्वारा क्रेताश्रीमती कोयली देवी पत्नि मालीराम बावरिया जाति बावरिया निवासी ग्राम करडका के पक्ष में तस्दीक करवाया जाना प्रकट होता है। जिसका नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 05.02.2014 दर्ज होकर ग्राम पंचायत करडका द्वारा स्वीकार किया जाना एंव दिनांक 20.02.2014 को ग्राम पंचायत ने पुनरावलोकन कर उक्त नामान्तकरण सं. 552 को खारिज किया जाना प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत करडका की बैठक दिनांक 20.02.2014 के प्रस्ताव संख्या 2 में आपत्ति प्राप्त होने पर नामा0 पुनरावलोकन हेतु मंगवाया जाना तथा सदस्यों द्वारा बताये जाने पर कि विक्रय पर विक्रेता की पत्नि तथा विक्रेता के पुत्र द्वारा आपत्ति जताई जाने पर स्वीकृतशुदा नामान्तकरण को अस्वीकार कर खारिज किया जाना प्रकट होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने प्रस्ताव में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि विक्रेता की पत्नी व पुत्र द्वारा उनके समक्ष क्या आपत्ति पेश की गई है ? जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत करड़का द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने सीधे ही स्वीकृतशुदा नामान्तकरण को पुनः निर्णय दिनांक 20.02.2014 के द्वारा किस आधार पर खारिज किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्ले... लान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की ... ग्राम पंचायत करड़का द्वारा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नामान्तकरण संख्या –552 ग्राम करडका बाबत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 20-02-2014 को अपास्त फरमाया जाकर तन ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 558 रक्बा 1.60 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टर के भू. अभिलेख में अपीलार्थीया के नाम रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 03.2.2014 के आधार पर भरे गये नामान्तकरण संख्या – 552 को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested